

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्गठन

एसएमई की परिभाषा :

सेक्टर	विनिर्माण	सेवाएं
	(किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्यम	सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे उद्यम} (5 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की प्रति उधारकर्ता सीमा के अधीन)
	जहां निवेश प्लांट और मसिनरी मे हो	जहां में निवेश उपकरण मे हो (सकल ब्लॉक)
माइक्रो उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है	दस लाख रुपये से अधिक नहीं है
छोटा उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	दस लाख रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है
मध्यम उद्यम	लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक है दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	दो करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है

योग्यता:

1. यह तंत्र सेवा क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के उधारकर्ताओं पर लागू होगा, जिनके पास मल्टीपल/कंसोर्टियम बैंकिंग व्यवस्था के तहत 10 करोड़ रुपये तक का वित्त पोषित और गैर-निधिक बकाया है।
2. यह तंत्र सभी कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट एसएमई पर लागू होगा, भले ही उनका बकाया कुछ भी हो, जो हमारे बैंक से एकल बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
3. यह तंत्र लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में बीमार/कमजोर इकाइयों पर लागू होगा और प्रारंभिक कमजोर के लक्षण दिखाने वाली इकाइयों पर भी लागू होगा जैसे:
(i) प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे और आवश्यक लागत वृद्धि के कारणों से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में छह महीने से अधिक की देरी हुई है।

(ii) स्वीकृत समय सीमा से परे कंपनी को दो साल के लिए नुकसान या एक साल के लिए नकद नुकसान उठाना पड़ता है ।

(iii)। क्षमता उपयोग मात्रा के संदर्भ में अनुमानित स्तर के 50% से कम है या बिक्री एक वर्ष के दौरान मूल्य के संदर्भ में अनुमानित स्तर के 50% से कम है।

(iv) एसएमए श्रेणी के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए खाते ।

II- अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए मानदंड

1. मानदंडों के अनुसार उधार खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक, उप मानक और संदिग्ध श्रेणी में होना चाहिए। बैंक द्वारा "लॉस एसेट" के रूप में वर्गीकृत खातों को एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत कवर नहीं किया जाना है ।

2. खातों को पुनर्चना के लिए तभी लिया जाएगा जब बैंक द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर, उधारकर्ता द्वारा बैंक देय राशि के पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता के लिए वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा । वित्तीय नियोजन का सहारा लेने और अपेक्षित डेटा अखंडता के साथ जानकारी प्रदान करने के लिए उद्यमियों की ओर से सीमित क्षमताओं वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खातों के पुनर्गठन में शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि पुनर्चना के तहत अग्रिम की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से और दी जाने वाली राहतें/रियायतें; डीएससीआर को प्रमुख वित्तीय संकेतक के रूप में माना जा सकता है, इसके अलावा, ब्याज कवरेज अनुपात का भी विश्लेषण किया जा सकता है और इसके लिए स्वीकार्य सीमा 1.00 से 1.20 के बीच है ।

3. बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से उधार खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुनः बातचीत नहीं कर सकते हैं।

4. सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होते रहेंगे जबकि पुनर्गठन प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है।

5. बीआईएफआर के मामले उनकी स्वीकृति के बिना पुनर्गठन के पात्र नहीं हैं।

6. उधारकर्ता को नियमों और शर्तों से सहमत होने के बाद सभी योग्य मामलों में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ।

7. इरादतन चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े खाते पुनर्चना के पात्र नहीं हैं।

(III) पुनर्गठन के लिए समय सीमा

पुनर्गठन पैकेज तैयार करने और उसे लागू करने के लिए अपेक्षित विवरण अधिकतम 120 दिनों की अवधि के अंदर लागू किया जा सकता है ।

(IV) पुनर्गठित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

(V) बार-बार पुनर्गठन :

परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए विशेष व्यवस्था केवल तभी उपलब्ध होगी जब खाते को पहली बार पुनर्गठित किया जाएगा।

(VI) प्रक्रिया:

ऋण लेने वाली इकाइयों से अपेक्षित विवरण के साथ इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने के बाद पुनर्गठन किया जाएगा।

बी। पात्र एसएमई के मामले में जो कंसोर्टियम/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हैं, अधिकतम बकाया वाला बैंक दूसरे सबसे बड़े हिस्से वाले बैंक के साथ पुनर्गठन पैकेज तैयार कर सकता है।

(VII) परिचालन पहलू

सावधि ऋणों के पुनः चरणीकरण, पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करके, अतिरिक्त वित्त की मंजूरी के माध्यम से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामला दर मामला आधार पर नकदी प्रवाह और वास्तविक क्रेडिट जरूरतों के आधार पर पुनर्चरण की अवधि और ब्लॉकिंग/अतिरिक्त वित्त की मात्रा निर्धारित की जाएगी।